[illegible] -१३

[illegible]

१३.१ [illegible] (बॉक्स १३.१) [illegible]

(बॉक्स 13...1.)	
[illegible]	
[illegible]	[illegible]
२४	[illegible] १४ [illegible]
३९(ग)	[illegible]
४२	[illegible]

[illegible]

१३.२ [illegible] १९४८ [illegible]

[illegible] १९८६ [illegible]

‡Š[garbled] ‡Š ‡Š [garbled] †[garbled] †‡Š [garbled] ‡Š[garbled]‰Š[garbled]

१३.३ [garbled] ‡Š [garbled] Œ[garbled], [garbled] ११ Œ[garbled] ‡ŠŒ[garbled]

१३.४ ‡Š[garbled], [garbled] १९५१ [garbled] ‡Š ‡Š[garbled] ‡Š[garbled]-४०००२२ ‡Š [garbled] १९६६ [garbled] Œ ‡ŠŒ[garbled] ‡Š [garbled] ‡Š[garbled] ‡Š ††‡Š œ[garbled] ३८ [garbled] ‡Š [garbled] Œ[garbled] †‡Š Œ[garbled] ‡Š[garbled] ‡Š[garbled] ‡Š[garbled]:

- ,[garbled]‡Š [garbled]
- ,[garbled]‡Š ,[garbled]
- ,[garbled]‡Š‡Š[garbled]
- ,[garbled]‡Š [garbled]—[garbled]
- ,[garbled]‡Š [garbled]—[garbled]
- ,[garbled]‡Š ‡[garbled]‡[garbled]
- [garbled] ,[garbled]‡Š
- ‡Š[garbled]
- [garbled] „[garbled]
- „[garbled]‡Š[garbled]
- [garbled] •Œ[garbled]
- [garbled]
- [garbled] †[garbled]
- [garbled]

१३.५ [garbled] ‡Š [garbled] ‡Š[garbled] †[garbled] ‡Š[garbled], [garbled] ‡Š[garbled]‰Š[garbled], [garbled] †[garbled] ‡Š[garbled], [garbled] ‡Š[garbled], [garbled]‡Š‡Š [garbled], [garbled] ‡Š[garbled], [garbled]‡‹[garbled]‡Š [garbled] „[garbled]‡Š[garbled] ‡Š • ‡Š[garbled]‡Š [garbled] •[garbled] ‡Š[garbled], [garbled]Œ[garbled], ƒ[garbled] ƒ[garbled] • ‡Šœ [garbled] „[garbled] ,[garbled]‡Š[garbled] •[garbled]

१३.६ ‡Š[garbled]‡Š[garbled] ,[garbled] ‡Š[garbled] (द्धक्ष्म) „[garbled], [garbled] ‡Š [garbled] ‡Š[garbled] ƒ[garbled] ‡Š [garbled]Œ[garbled]/,[garbled]:

- ,[garbled]‡Š [garbled]
- ,[garbled]‡Š ,[garbled]
- ,[garbled]‡Š‡Š[garbled]
- ‡Š[garbled] †[garbled] „[garbled]‡Š[garbled]
- [garbled]
- [garbled] Œ[garbled]
- ‡Š[garbled] ‡Š[garbled]

१३.७ [garbled] ‡Š [garbled] ‡Š[garbled] ‡Š ‡Š[garbled] ‡Š[garbled], [garbled] ‡Š ††‡Š ,[garbled]‡Š[garbled] ‡Š [garbled]‡‹[garbled] ‡Š[garbled], ‡Š[garbled]† ‡Š [garbled] †‡Š ‡Š[garbled] ‡Š[garbled] „[garbled] •[garbled] [garbled] •[garbled] •[garbled] ‡Š[garbled] ‡Š ,[garbled]‡Š [garbled] †[garbled] ‡Š[garbled] ‡‹[garbled]‡Š [garbled] ƒ[garbled], ‡Š[garbled] ‡Š[garbled] ‡Šƒ [garbled]•[garbled] ‡Š ,[garbled] ‡Š[garbled]

१३.८ [garbled] ‡Š ११ Œ[garbled] ‡Š‡Š[garbled], [garbled], Œ[garbled], [garbled], ‡Š[garbled], [garbled], ‡Š[garbled], •[garbled] ,[garbled] ‡Š†† †[garbled] ‡Š[garbled] ‡Š ‡Š[garbled] ‡Š • [garbled]

^ मचारियों ^ ी सं ~ या

दिां ^ 30.09.2005 ^` आुसार सं ‰ ाठा में जाशक्ति ^ ी स्थिति (बॉक्स 13...2.) में दी ‰ ाई है:

‰Š[garbled] ‡Š[garbled]

१३.९ ‡ŠŒ[garbled]

[garbled]Œ[garbled] [garbled].ƒ.†[garbled]., [garbled]•[garbled] [garbled]‡Š[garbled], [garbled], ‡ŠŒ[garbled], ,[garbled] ‡Š

[illegible]

[illegible]

[illegible] १९८६ [illegible] १९८९ [illegible]

१३.११ [illegible] ८१४ [illegible] १११ [illegible] १७ [illegible]

[illegible]:

१३.१२ [illegible]

- १११ [illegible] २००४-२००५ [illegible] १९४८ [illegible] ४०Œ [illegible]
- [illegible] १९४८ [illegible] ४१ (Œ) [illegible] ६१ [illegible]
- [illegible] २५ [illegible]
- [illegible] १९४८ [illegible] ४१ (Œ) [illegible] ४२ [illegible]

१३.१३ [illegible] २००५ [illegible] ५१ [illegible] २६२ [illegible] १४०७ [illegible] १९७६ [illegible] ४ [illegible]

[illegible]

१३.१४ [illegible]

[illegible] (ट) [illegible] (ट्ट) [illegible]

[illegible]:

- [illegible]
- [illegible]

१३.१५ [illegible]

[illegible]:

- [illegible]
- [illegible]

१३.१६ [illegible]

[illegible]	७
[illegible]	२
[illegible]	३
[illegible]	२
[illegible]	१
[illegible]	२
[illegible]	१०
[illegible]	१
[illegible]	४
[illegible]	२

[illegible]

[illegible]

१३.१७ [illegible] २००५-०६ [illegible]

[illegible]

१३.१७.१ [illegible]

[illegible] १९४८ [illegible]

[illegible]

13.17.2 [illegible]

[illegible]

13.17.3 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

१३.१७.४ [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

13.17.5 [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

१३.१७.६ [illegible]

[illegible]

[illegible] १९८७ [illegible]

[illegible]

[illegible]

१३.१८ [illegible]

[illegible]

- १६१० [illegible]
- १६७ [illegible]
- १४०५ [illegible]

[illegible]

१३.१९ [illegible] २५,००० [illegible]

[illegible]

१३.२० [illegible] २००१ [illegible] १९४८ [illegible]

[illegible] १९८६ [illegible]

[illegible]

१३.२१ [illegible]

औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र

13.22 केन्द्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, पैनलों, मॉडलों, चार्ट, ग्राफ्स आलेखों आदि के जरिए खतरा संप्रेषण का प्रसार करते हैं, जिन्हें उद्योगों के कामगार, कार्यपालक तथा अन्य देशों के प्रतिनिधि देखने आते हैं । वीडियो फिल्मों, बैनरों, सुरक्षा पोस्टरों और तकनीकी साहित्य आदि जैसी प्रचार सामग्री के निर्माण में सहायता के लिए कें.श्र.सं.में एक आर्ट स्टूडियो है, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है । वर्ष में 1417 आगन्तुकों के लिए 82 सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चलाए गए ।

वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण

13.23 मुंबई स्थित केन्द्रीय श्रम संस्थान, श्वसनी एवं गैर-श्वसनी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाएं कनस्तर, मास्क, हेल्मेट, सुरक्षा जूतों, सुरक्षा चश्मों, सुरक्षा पट्टों, वेल्डिंग चश्मों आदि के कार्य-निष्पादन का परीक्षण करता है । संबंधित बीआईएस मानकों के अनुसार निष्पादन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का परीक्षण किया गया:

- **120 डस्ट रेस्पिरेटर, कनस्तर, डस्ट फिल्टर आदि ।**
- **हेल्मेट, सुरक्षा जूतों आदि जैसे 116 गैर-श्वसनी उपकरण ।**

ज्वालारोधी विद्युत उपकरणों का अनुमोदन

13.24 बीआईएस मानक आईएसः 2148-1981 के अनुसार खतरनाक वातावरण में उपयोग में आने वाले ज्वालारोधी विद्युत उपकरणों के लिए डीजीफासली अनुमोदन एजेन्सी है । अनुमोदन के लिए प्राप्त 9 अवेदनों में से 3 उत्पादकों को 4 अनुमोदन जारी किए गए ।

बीआईएस समिति में प्रतिनिधित्व

13.25 डी.जी. फासली के अधिकारियों ने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी कई बीआईएस समितियों/उप-समितियों में प्रतिनिधित्व किया ।

13.26 डी.जी फासली, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से 1985 से विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कारों का क्रियान्वयन करती हे जिसे पहले श्रम वीर राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तथा 1965 से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करती है । इन स्कीमों को 1970 में और फिर 1977 में संशोधित किया गया। वर्तमान में निम्न रूप में इनका इन स्कीमों को 1970 में और फिर 1977 में संशोधित किया गया । वर्तमान में निम्न रूप में इनका क्रियान्वयन चल रहा है ।

- **विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार :** (i) अधिक उत्पादकता (ii) कार्यदशाओं में सुधार (iii) विदेशी मुद्रा की बचत (आयात का विकल्प एवं उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा) (iv) स्थापना की कुल दक्षता में सुधार को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है । इस योजना में कारखानों, गोदियों और निर्माण स्थलों पर कार्यरत कामगार भाग ले सकते हैं । इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए आवेदन प्रतिवर्ष मंगवाए जाते हैं और इन्हें श्रमिकों की ओर से प्रबंधन द्वारा भेजा जाता है । पुरस्कारों को तीन ग्रुपों में रखा गया है

अर्थात श्रेणी 'क' में तीन नकद पुरस्कार हैं और प्रत्येक पुरस्कार 50,000/-रु. का नकद पुरस्कार है, श्रेणी 'ख' में 25,000/-रु. के पांच पुरस्कार हैं तथा श्रेणी 'ग' में 10,000/-रु. के दस पुरस्कार हैं ।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार :** औद्योगिक स्थापनाओं में अच्छे सुरक्षा निष्पादन को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया जाता है । कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाने तथा डॉक कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम 1986 के अधीन डॉक कामगार(रोजगार और सेवा शर्तें विनियम) अधिनियम, 1996 के अधीन कामगार इस योजना में भाग ले सकते हैं । विजेताओं को शील्ड और विशिष्ट प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है । योजना (I) से (VI) तक कारखानों के लिए हैं और योजना (VII) और (VIII) पत्तनों के लिए है।

13.27 वर्ष 2004 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 17.09.2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयेजित किया गया तथा के.एम.साहनी, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए । विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 295 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 93 विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए । राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के लिए प्राप्त 485 आवेदनों में से 105 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए ।

राजभाषा के रूप में हिन्दी का संवर्धन

13.28 दिनांक 14.09.2005 के डी.जी.फासली मुंबई में "हिन्दी दिवस" का आयोजन किया गया । चेन्नई स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान में भी "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया । डॉ. एस पारथसार्थी, खजांची एवं प्रबंधन ट्रस्टी, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चैन्नई ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटे गए ।

खनन सुरक्षा महानिदेशालय

13.29 खनिजों को किसी भी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड समझा गया है और भारतवर्ष प्रकृति के इस उपहार से संपन्न है । प्रगतिशील औद्योगीकरण के कारण माँग के अनुरूप विभिन्न खनिजों के उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि हुई । लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में खनन गतिविधि में तेजी आई । वृद्धिगत लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए खनन गतिविधि में यांत्रिकीकरण किया गया है । तालिका 13.1 में कुछ मुख्य प्राचालों के विकास जैसे खानों की संख्या, उत्खनित खनिजों के मूल्य, कार्यरत औसत मशीनी शक्ति एवं व्यवहार में लाये गए विस्फोटकों आदि को दर्शाया गया है । बड़े पैमाने पर मशीनीकरण के कारण खानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को जोखिमों का सामना करना पड़ता है । भारतीय संविधान के अनुसार खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य केन्द्र सरकार के विषय हैं (संघ सूची के अनुच्छेद 246 की प्रविष्टि 55) । इस उद्देश्य की पूर्ति खान विनियमों द्वारा की जाती है, जो केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत खान अधिनियम एवं अधीनस्थ विधानों को प्रशासित करने के साथ-साथ खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रशासित हैं। खान अधिनियम एवं अधीनस्थ विधानों को प्रशासित करने के साथ-साथ खान सुरक्षा महानिदेशालय अन्य संबद्ध विधानों को भी प्रशासित करता है । ये इस प्रकार हैं :-

खान अधिनियम, 1952

- कोयला खान विनियम, 1957
- धातुमय खान विनियम, 1961
- तेल खान विनियम, 1984
- खान नियम, 1955
- खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
- खान बचाव नियम, 1985
- खान शिशु गृह नियम, 1966
- कोयला खान पिट हेड बाथ नियम, 1959

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910

- भारतीय विद्युत नियम, 1966

संबद्ध विधान

- फैक्ट्री अधिनियम, 1948, अध्याय 3 तथा 4
- पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के नियम 1989 के तहत खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण एवं आयात ।
- भूमि अधिग्रहण (खान) अधिनियम, 1885
- कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974

संगठनात्मक स्वरूप

13.30 खान सुरक्षा महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्यालय धनबाद (झारखंड) में है और खान सुरक्षा महानिदेशक इसका विभागाध्यक्ष होता है । मुख्यालय में महानिदेशक के सहायतार्थ खनन, विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग के अलावा व्यावसायिक स्वास्थ्य, सांख्यिकी, विधि, सर्वेक्षण, प्रशासन एवं लेखा संभागों के विशेषज्ञ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है । मुख्यालय में एक तकनीकी पुस्तकालय एवं विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला भी है जो संगठन को तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराता है । क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में द्विस्तरीय नेटवर्क के रूप में कार्य करता है । समस्त देश छः जोनों में विभाजित है और प्रत्येक जोन का प्रमुख खान सुरक्षा उप महानिदेशक होता है । प्रत्येक जोनल कार्यालय के अधीनस्थ तीन से चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसका प्रमुख निदेशक होता है । समस्त देश में कुल 21 क्षेत्रीय कार्यालय हैं । क्षेत्रीय कार्यालयों से दूर गहन खनन क्षेत्रों में पाँच उप क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं, जो प्रत्येक उप-निदेशक के अधीन कार्य करता है । प्रत्येक जोन में खनन संवर्ग के निरीक्षण अधिकारियों के अलावा विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य संभाग के अधिकारी भी होते हैं । खान सुरक्षा महानिदेशालय में स्वीकृत कुल पदों की संख्या 996 हैं जिनमें दिनांक 31.10.05 के अनुसार 783 पद भरे हुए हैं, जो नीचे की तालिका से स्पष्ट है :-

श्रेणी	संस्वीकृत पद	भरे हुए पद
श्रेणी क	177	134
श्रेणी ख	104	89
श्रेणी ग	468	373
श्रेणी घ	247	187
योग	996	783

दुर्घटना की प्रवृति

13.31 कोयला और गैर कोयला खानों में हुई प्राणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं की प्रकृति तालिका 13.2 में दी गई है । प्राणघातक दुर्घटनाओं का कारण सहित ब्योरा भी तालिका 13.3 में दर्शाया गया है तथा कोयला और गैर कोयला खानों के बारे में ब्योरा तालिका 13.4 में है । कोयला खानों में छतों एवं साइडों का खिसकना आदि प्राणधातक दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होता है । तत्पश्चात डंपर और ट्रक प्रमुख कारण होते हैं । गैर-कोयला खानों में प्राणघातक दुर्घटनाओं का कारण उल्लिखित दूसरा वाला ही है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय ने विभिन्न कदम उठाए हैं ।

सुरक्षा उपाय

13.32 खानों में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा जाँच पड़ताल किया जाता है । कोयला, धातुमय एवं तेल खानों का निरीक्षण करने के साथ-साथ खान सुरक्षा महानिदेशालय प्राणघातक, गंभीर एवं खतरनाक दुर्घटनाओं की भी जाँच करता है और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति की रोकथाम के लिए उपाय हेतु सिफारिश भी करता है ।

- **1995 से 2004 तक हुई दुर्घटाओं का वर्णा तालिका 13.4 क पर दिया है।**
- **वर्ष 1951 से 2000 एवं 2001-2005 तक दस वर्ष के औसत के आधार पर प्रति 1000 कार्यरत व्यक्तियों पर प्राणघातक दुर्घटाओं एवं मृत्युदर की प्रवृति तालि^ ा 13.4 ा में दर्शाया ाया है ।**
- खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 एवं 22क, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 103 एवं धातुमय खान विनियम 1961 के विनियम 108 के तहत खानों में व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना निषिद्ध करने का सुधार संबंधी सूचना एव निषेधात्मक आदेश जारी करने की शक्ति खान सुरक्षा महानिदेशालय को दी गई है ।
- अप्रैल, 2005 से अक्तूबर, 2005 तक कोयला खानों को 191 सूचनाएँ एवं 75 आदेश और गैर

कोयला खानों को 120 आदेश जारी किए गये हैं ।

- **तालिका 13.5** में वर्ष 1995 से आगे की गयी निरीक्षणों एवं पड़तालों की संख्या दर्शायी गयी है ।

परिपत्र

13.33 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी व्यापक जटिल मामलों पर खान सुरक्षा महानिदेशालय खनन उद्योग को परिपत्र जारी करता है । जनवरी, 2005 से अक्तूबर, 2005 तक खनन उद्योग को 6 तकनीकी तथा 1 कानूनी विधिक परिपत्र जारी किये गये हैं ।

सक्षमता जाँच

13.34 यह सुनिश्चित करने के लिए कि खान प्रबंधक, सर्वेक्षण, ओवरमैन, फोरमैन, आदि जैसे केवल सक्षम व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते हैं, खान सुरक्षा महानिदेशालय कोयला खान विनियम, 1957 एवं धातुमय खान विनियम 1961 के तहत गठित खनन परीक्षा बोर्ड के लिए परीक्षाएं संचालित करता है और सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करता है । अप्रैल, 2005 से अक्तूबर, 2005 तक प्राप्त आवेदनों तथा निर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्रों का विवरण **तालिका** 13.6 में दिया गया है ।

खान सुरक्षा उपस्करों का अनुमोदन

13.35 कोयला खान विनियम, 1984, धातुमय खान विनियम, 1961 तेल खान विनियम, 1984, खान बचाव नियम, 1985 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्थापित सांविधिक अनिवार्यता को खानों में विभिन्न उपस्करों का प्रयोग करने के लिए मुख्य निरीक्षक खान (महानिदेशक खान सुरक्षा के रूप में भी पदनामित) ने अनुमोदन प्रदान किया है । अनुमोदन करने की पद्धति में मुख्यतः आवेदनों की संवीक्षा करते समय निर्माणकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाली गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति का पता लगाना तथा उपस्कर/सामग्री आदि के निर्माण में उनकी क्षमता का पता लगाना जो खान के प्रतिकूल वातावरण के तहत कामकाज की सुरक्षा के लिए योग्य हो और प्रतिकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत दीर्घाकृत प्रयोग के तहत कारगर रहे शामिल हैं । उपस्कर भारतीय मानकों के अनुसार हों तथा यदि उनमें भारतीय मानक नहीं है तो देशों के आरम्भ का मानक (आई एस ओ/ई एन/डी आई एन आदि) होना चाहिए । आवेदन में सम्बद्ध मानक के अनुसार अनुमादित प्रयोगशाला से जांच प्रमाण-पत्र का होना भी शामिल है । कागजात की संवीक्षा करने के बाद तथा उन्हें सही पाए जाने की स्थिति में विभिन्न खानों में उपस्कर की गर्त योग्यता को जांचे जाने के लिए उनके फील्ड परीक्षण के लिए अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की जाती है । उपस्करों के सफलतापूर्ण फील्ड परीक्षण के बाद सम्बद्ध खान प्रबंधन से निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है । यदि उपर्युक्त रिपोर्टें संतोषजनक पाई जाती हैं तो विशिष्ट अवधि के लिए नियमित अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

उपस्कर/मशीनरी/उप यंत्र तथा सामग्री जिनमें अनुमोदन की आवश्यकता होती है उन्हें निम्न प्रकार से व्यापक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

(1) वैयक्तिक बचाव उपस्कर

(2) पर्यावरणीय मॉनीटरिंग उपस्कर तथा साधन

(3) बचाव उपकरण

(4) विद्युत उपस्कर तथा तार

(5) विस्फोटक तथा अनुषंगी

(6) खनन प्रचालन कार्य करने के लिए मशीनरी तथा अन्य उपस्कर तथा

(7) भूमिगत खानों में प्रयोग करने के लिए बचाव सामग्री

वर्ष 2004 के दौरान खानों में सामग्री, उपस्कर, मशीनरी आदि के प्रयोग हेतु 482 अनुमोदन प्रदान किए गए । वर्ष 2005 में (31.10.05 तक) खानों में सामग्री, उपस्कर, मशीनरी के प्रयोग हेतु 80 अनुमोदन प्रदान किए जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)

13.36 1982 के प्रतियोगिता वर्ष के साथ ही खानों के लिए 1983 में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की शुरूआत की गई । खान अधिनियम, 1952 के तहत आने वाली खानों में उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के उद्देश्य से इस योजना को तैयार किया गया है । यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। प्रतियोगिता वर्ष 2002 एवं 2003 के लिए पुरस्कार जीतने वाली खानों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है तथा जल्दी ही पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन की संभावना है ।

चालू प्लान योजनाएँ

13.37 निरीक्षण अधिकारियों की तकनीकी एवं व्यावसायिक सक्षमता को अद्यतन बनाए रखने तथा विनियंत्रक, प्रवर्तनकारी, परामर्श सबंधी एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय की प्रोन्नयनकारी भूमिका को समर्थन देने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

विज्ञान एवं तकनीकी क्षमताओं, खान बचाव सेवाओं और मानव संसाधन विकास का संवर्धन

इस योजना का सूत्रीकरण चालू योजनाओं के आधार पर खान सुरक्षा महानिदेशालय के विज्ञान एवं तकनीकी सपोर्ट क्षमताओं का विकास (वि. एवं त. 1981), खान बचाव सेवाओं का विकास (डी.एम.आर.एस., 1981) तथा खानों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी., 1990) को मिला कर किया गया है ।

(क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी सपोर्ट

विज्ञान एवं तकनीकी समर्थन सेवाओं का उद्देश्य खान सुरक्षा बढ़ाने के लिए महानिदेशालय के अधिकारियों को घरेलू वैज्ञानिक सहायता प्रदान कर उनके विनियंत्रण एवं प्रवर्तनकारी प्रोन्नायक भूमिका के निष्पादन में सहयोग प्रदान करना है । व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मामलों के संदर्भ में यह खान संचालकों, श्रमिक संगठनों एवं अन्य संसाधनों का वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने के अतिरिक्त परामर्श भी देता है । विज्ञान एवं तकनीकी योजनाओं की गतिविधियों में व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अलावा स्ट्राटा कंट्रोल, खान संवातन, खान में मौजूद गैसों, आग एवं विस्फोट, खनन संवातन, खान में मौजूद गैसों, आग एवं विस्फोट, खनन यंत्रीकरण, तेल एवं पोखरिया, खानों की सुरक्षा, मानक निर्धारण एवं नीति निर्धारण शामिल हैं ।

मुख्य कार्यक्रम

वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्लान योजना के मुख्य कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) व्यावसायिक सुरक्षा :

(क) बोर्ड और पिलर कामकाज में सपोर्ट पद्धति के ऊपर तकनीकी मानकों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग ।

(ख) बहुसीवन कामकाज की स्थिरता पर मानकों का पुनरीक्षण ।

(ग) आग के विरूद्ध बचाव के उपाय, नियंत्रण, अवरोधन पर मानकों का पुनरीक्षण तथा मानकों/मार्गदर्शनों में सुधार ।

(घ) खान यंत्रीकरण से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन तथा नियंत्रण उपायों तथा तकनीक मॉनीटरिंग का मानकीकरण ।

(i) परीक्षण शक्ति सॅपोर्ट तथा द्रवचालित/घर्षण प्रोप्स के लिए आदि प्रारूप परीक्षण का मानकीकरण ।

(ii) पराध्वनिक परीक्षण तकनीक का मानकीकरण तथा स्वीकरण तथा अस्वीकरण मानकों का निर्माण ।

(iii) अग्नि प्रतिरोध द्रवचालित तेल का परीक्षण ।

(2) व्यावसायिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

(क) ध्वनि, वायु के धूलकण, खान की गैसों तथा निम्न प्रकाश से उत्पन्न व्यावसायिक जोखिमों/खतरों के नियंत्रण एवं प्रबोधन हेतु तकनीकों का मानकीकरण

(ख) चिकित्सीय जाँच के मानकों की समीक्षा

(ग) पहले से मौजूद व्यावसायिक रोगों की निगरानी हेतु कार्यविधियों के मानकीकरण की समीक्षा

(ख) खान बचाव सेवाओं का विकास

इसका उद्देश्य खनन उद्देश्य में उचित बचाव सेवाओं को प्रोत्साहित करना है । इस योजना के अन्तर्गत बचाव उपकरणों और स्व बचाव उपकरणों की डिजाइन वैशिष्टय के विवेचनात्मक मूल्यांकन पर विचार, उसके क्षेत्रीय निष्पादन का मूल्यांकन, बचाव उपकरणों के प्रयोग से होने वाली दुर्घटनाओं की जांच, बचाव केन्द्र और बचाव कक्षों का निरीक्षण, बचाव प्रतियोगिता आयोजित करना, सभी भूमिगत खानों के प्रबंधन द्वारा आपात नक्शा बनाने में प्रबोधन करने और खान बचाव नियम, 1985 के तहत अनुमति/अनुमोदन/छूट देने से संबंधित आवेदन पर विचार किया जाता है ।

प्रमुख कार्यक्रम

1. पुनरुज्जीवन तक की परीक्षण सुविधा एस सी बी ए का संस्थापन ।

2. बचाव डॉटा बेस की रचना ।
   क) सी एम आर/ओ एम आर/एम एम आर/डी बेस
   ख) आर आर ए ई डाटाबेसस

3. बचाव पद्धति का नक्शा
   क) बाढ़ आर आर एस
   ख) अग्नि आर आर एस
   ग) विस्फोटन आर आर एस

4. आपदा नियंत्रण पद्धति का विकास

5. स्वः बचाव का परीक्षण, परीक्षण एस सी बी ए

6. बचाव प्रतियोगिता

7. आपातकालीन प्लान की समीक्षा, मानक निर्धारित करना

8. खनन उद्योग को तकनीकी परिपत्र जारी करना ।

(ग) मानव संसाधन विकास

यह योजना आदर्श पैमाने पर दिनांक 1.4.90 को शुरू हुई । इसके तहत धनबाद तथा नागपुर में खान सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अकादमी का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से खा.सु.म.नि. के निरीक्षण अधिकारियों को संरचनात्मक प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि उनकी तकनीकी तथा व्यावसायिक दक्षता अद्यतन और विस्तृत हो सके और उनके विनियंत्रणकारी, प्रवर्तनकारी, परामर्शी तथा प्रोन्नायक कर्तव्यों में सुधार हो सके । अकादमी की ऐसी सुविधाओं से खान सुरक्षा सिद्धांतों एवं अभ्यासों की नवीनतम सूचनाओं का खनन उद्योग के मुख्य सुरक्षा कर्मियों तथा कामगार निरीक्षकों के बीच प्रचार प्रसार में उपयोग हो सकेगा ।

प्रमुख कार्यक्रम

1. प्रशिक्षण अनुसूचियों का विकास

2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन
   (क) डी जी एम एस अधिकारियों का प्रशिक्षण
      (i) नए प्रवेशी
      (ii) मौजूदा अधिकारी
      (iii) विशेष व्याख्यान

   (ख) खनन उद्योग में प्रमुख कार्मिक का प्रशिक्षण ।
      (i) प्रबंधन कार्मिक
      (ii) बचाव अधिकारी
      (iii) संवातन अधिकारी
      (iv) अभियंता
      (v) औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञानी
      (vi) कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी

(vii) वी टी ओ

(ग) कामगार निरीक्षकों का प्रशिक्षण

खनन दुर्घटनाओं का अध्ययन एवं खान सुरक्षा सूचना प्रणाली का विकास (सोमा)

इस योजना को खान सुरक्षा महानिदेशालय की दो चालू योजनाओं "खान सुरक्षा सूचना प्रणाली का विकास (डी एम एस आइ एस, 1976)" तथा खान दुर्घटनाओं का अध्ययन एवं उसके निवारक उपाय (सोमा 1976) को मिलाकर बनया गया है । ये दोनों योजनाएं 9वीं योजना के प्रथम चार वर्षों तक क्रियाशील रहीं। वर्ष 2001-2002 में एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाई गई ।

क. खान दुर्घटनाओं का अध्ययन एवं उसके निवारक उपाय(सोमा)

स्कीम के उद्देश्य हैं :

- दुर्घटना के मूल कारणों की जानकारी के लिए खान दुर्घटना संबंधित खतरनाक दुर्घटनाओं के अध्ययन को जारी रखना तथा एहतियाती उपायों हेतु सलाह प्रदान करना ताकि इसके कार्यान्वयन से खानों में सुरक्षा मानकों की प्रगति हो सके ।

- दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के गहन विश्लेषण के जरिए अपेक्षाकृत अधिक संभावित दुर्घटनाओं वाली खानों की पहचान एवं जोखिम विश्लेषण द्वारा जोखिम निर्धारण और उनसे होने वाले खतरों के निवारण हेतु निरोधात्मक उपायों का प्रस्ताव ।

- निहित्त कारकों के कारण होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं के गहन अध्ययन द्वारा दुर्घटनाओं के वृहत कारण समूह से संबंधित बहु-अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य का विकास, खतरे के संभावित क्षेत्रों का पुर्वानुमान एवं पहचान सहित निरोधात्मक कार्य हेतु सलाह ।

ख. खान सुरक्षा सूचना प्रणाली का विकास (डी एन एस आइ एस)

खान अधिनियम, 1952 को प्रभावी बनाने के लिए खानसुरक्षा महानिदेशालय को सांख्यिकीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्लान स्कीम के इस भाग को तैयार किया गया है । इस अधिनियम तथा इसके तहत निर्मित विविध नियमों तथा विनियमों के अनुसार प्रत्येक खान के प्रबंधन के लिए कुछ निश्चित प्रपत्र में वार्षिक, तिमाही या मासिक प्रतिवेदनों के रूप में खनन प्रचालन जैसे दैनिक नियुक्ति, उत्पादन, विस्फोटकों तथा मशीनों के प्रयोग इत्यादि के संदर्भ में अपेक्षित सूचनाएं देना अनिवार्य है ।

प्राप्त सूचना के आधार पर रोजगार, उत्पादन, यंत्रीकरण, विस्फोटकों का प्रयोग, श्रमोपार्जन सारणी इत्यादि पर तालिका बनायी जाती है । इसके अतिरिक्त खान दुर्घटना की सूचना तथा संदर्भ वर्ष के दौरान घटित प्रत्येक प्राणघातक दुर्घटना के संदर्भ में जाँच के निष्कर्षों के संक्षिप्त विवरण को भारत में खानों की सांख्यिकी भाग तथा भाग-2 शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन में प्रकाशित किया जाता है । भाग-1 कोयला खानों तथा भाग-2 धातुमय तथा तेल खानों से संबंधित है ।

मास दर मास दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए 'दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा' भी निकाली जाती है । उपरोक्त के अतिरिक्त इस योजना के तहत समस्त वृहद गतिविधियों, जिनमें संगठन के महत्वपूर्ण विकास भी शामिल है, को आवृत करते हुए **मासिक कार्यकलाप प्रतिवेदन** निकाला जाता है ।

रोजगार प्रबंधन एवं प्रशिक्षण (सी एम टी)

13.38 प्रशासनिक एवं वित्तीय मुद्दों तथा विधा के तकनीकी पक्षों आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु कई अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

संगठन एवं कार्य

13.39 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (रासुप) श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 मार्च, 1966 को गठित की गई, जो एक स्वायत्त संस्थान है तथा त्रिपक्षीय प्रशासक मंडल सहित राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित संस्थान है । इसका उद्देश्य है जीवन की हानि को रोकना तथा न्यूनीकरण करना, मानवीय व्यथा तथा आर्थिक नुकसान निमित्त सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय आंदोलन का विकास करना है । यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और अखिल भारतीय स्तर पर इसके लगभग 6200 सदस्य हैं, जिनमें निगम(औद्योगिक प्रतिष्ठान, नियोक्ता संगठन, व्यावसायिक निकाय एवं संस्थान तथा श्रमिक संघ), व्यक्तिगत और आजीवन सदस्य शामिल हैं । विभिन्न राज्यों में इसकी 14 शाखाएं और 31 कार्रवाई केन्द्र हैं । रासुप के कार्यकलापों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एचएसई परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना, आपातकालीन तत्परता तथा अन्य परामर्श सेवाएं प्रदान करना, तकनीकी प्रकाशन एवं आवधिक पत्रिकाएं(तिमाही औद्योगिक सुरक्षा क्रोनिकल एवं ,मासिक समाचारपत्र) जारी करना, सुरक्षा प्रचार साहित्य तैयार एवं वितरित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह, अग्निशमन सेवा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन-विश्व दिवस इत्यादि जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रचार अभियान जारी रखना, रासुप की सुरक्षा पुरस्कार योजना प्रचालित करना तथा राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएं संचालित करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसने आईएलओ, यूनेप, विश्व बैंक, ईपीए(यूएसए), एडीपीसी(बैंकॉक) डब्ल्यूईसी, जिशा(जापान), एवं एनएससी(यूएसए), और अपोशो(एशिया पेसिफिक व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संगठन), जिसका रासुप संस्थापक सदस्य है, के सदस्य संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग बढ़ाया है । श्री के.सी.गुप्ता, महानिदेशक, एन एस सी आई ने अपोशो के अवैतनिक महासचिव का कार्यभार 8 सितम्बर, 2005 से 2 वर्ष के लिए संभाला है ।

रासुप के नये कार्यकलापों के लिए मार्गचित्र

13.40 परिषद ने तीन क्षेत्रों में नये कार्य शुरु किए हैं । इन क्षेत्रों में **सड़क परिवहन, निर्माण और लघु एवं मध्यम उद्यम** शामिल हैं । रिपोर्ट की अवधि में इन नये कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियां शुरू की गई :

(i) सड़क परिवहन सुरक्षा

- सड़क परिवहन सुरक्षा पर निम्नलिखित दो संगोष्ठियां सितम्बर, 2005 में तमिलनाडु में चैन्नई एवं नामाक्कल में आयोजित की गई ।
- एच आई के ए एल लिमिटेड के लिए दिनांक 10 मई, 2005 के रक्षात्मक चालान पर एक इन-प्लांट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- आयशर मोटर लिमिटेड के प्रायोजन सहित लॉस प्रिवेन्शन एशोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग सुरक्षित चालन पर एक फिल्म बनाई ।
- सड़क सुरक्षा पर पोस्टर के चार नमूने तैयार किए गए ।

(ii) निर्माण उद्योग में स्वास्थ्य और सुरक्षा ।

एनएससी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सम्मेलन, सुरक्षा जाँच, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक नियम पुस्तक; सुरक्षा प्रचार साहित्य विकसित करना; ओएसएच सूचना एवं सलाह सेवाएं; निर्माण क्षेत्र के लिए एक पृथक सुरक्षा पुरस्कार योजना आयोजित करता है । इस अवधि के दौरान एन एस जी ने निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया :-

- 12-15 जुलाई, 2005 के **निर्माण कार्य में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर** 4 दिन का विशेषज्ञ जन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया ।
- 10-11 नवम्बर, को 'ऊँचाई पर पाइट तथा कामकाज में सुरक्षा' पर 2 दिन का विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ।

- इस अवधि के दौरान 7 इन-प्लांट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- इस अवधि के दौरान दो सुरक्षा जाँच की गईं ।
- पुरस्कार वर्ष 2005 से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए एक पृथक **सुरक्षा पुरस्कार योजना** शुरू की गई ।

(iii) लघु एवं मध्यम उद्योगों में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण।

लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रयोग के लिए एक संदर्भ पुस्तक जिसमें आर्थिक डाटा, सरकारी सहायता, बैकों तथा संस्थानों से वित्तीय सहायता, सांख्यिकीय, उत्पादन तथा प्रक्रिया विकास केन्द्रों, प्रशिक्षण संस्थानों, सुरक्षा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर सांविधिक प्रावधानों के साथ स्वतः अनुपालन पर मार्गदर्शन, एचएसई पर सांविधिक अनुमोदन/अनुमति, एनएससी अभियान, इत्यादि शामिल करते हुए संक्षिप्त सूचना का मसौदा तैयार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय एपेल सेन्टर(एन.ए.सी)

13.41 यू. एन.ई.पी.पेरिस के प्रौद्योगिकी उद्योग एवं अर्थशास्त्र प्रभाग (डी.टीआई.ई.) के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एन.एस.सी.मुख्यालय में अप्रैल, 2002 से **नेशनल एपेल**(स्थानीय स्तर पर आपातकाल के लिए जागरूकता एवं तैयारी) **सेन्टर(एन.ए.सी.)** की स्थापना की गयी है । इसमें यूएनईपी से तकनीकी सहायता तथा सूचना तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्रोत तथा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय , भारत सरकार तथा पणधारी शामिल हैं ।

एन.ए.सी.मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत एपेल्ल प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा भारत में रसायन संबंधी आपातकालीन तैयारी और उसकी अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए समर्पित है । यह उद्देश्य तथा स्तरीय सूचना, सलाह एवं प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र हेतु है । नेटवर्किंग हेतु प्राधिकरणों , उद्योग और समुदाय के बीच प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए यह एक केन्द्र बिन्दु है । इसके कार्य खास तौर पर स्थानीय सतर की तैयारी पर केन्द्रित हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित नए नीतिगत कार्यकलाप आयोजित किए गए :-

- महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने पर्यावरणीय आपातकाल पर सलाहकार ग्रुप के सदस्य होने के नाते 22 से 24 जून, 2005 तक जनेवा में मानवीय मामलों के समन्वय के लिए यूनिपय/कार्यालय द्वारा आयोजित 6ठी बैठक में भाग लिया । वे बैठक के उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए थे । उन्होंने बैठक में **भारत में एन ए सी की दृष्टि एवं कार्यकलापों पर दृष्टि** पर कागजात भी प्रस्तुत किए ।
- इस अवधि के दौरान परिषद अहमदाबाद में गुजरात सरकार के औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों के लिए 2-3 दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला का आकार-प्रकार तैयार किया, उसका विकास किया तथा आयोजन किया ।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यावरण विभाग की राय से पश्चिम बंगाल, हलदिया के लिए दूरवर्ती स्थल आपातकालीन योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने में सक्रियता से भाग लिया।
- आपदा प्रबंधन पर पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के सहयोग से सुरक्षा व्यवसाय तथा घटना नियंत्रक के लिए 3 दिन की कार्यशाला आयोजित की ।

एन एस सी आई पुरस्कार

13.42 पुरस्कार समिति ने भारासुप सुरक्षा पुरस्कार-2004 की घोषणा की। कुल मिलाकर 26 संगठनों ने पुरस्कार जीते । छः संगठनों ने श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार तथा 10 अन्य संगठनों ने योग्यता प्रमाण पत्र जीते । पुरस्कार वर्ष-2005 के लिए कुल 252 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है । निर्माण क्षेत्र में सुरक्षा नये कार्य शुरु करने की कार्यान्वयन रणनीति के रूप में परिषद पुरस्कार वर्ष-2005 से निर्माण क्षेत्र के लिए भारासुप सुरक्षा पुरस्कार नाम की पृथक योजना शुरू की गई है ताकि निर्माण उद्योग में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए निर्माण कंपनियों को भी सम्मानित किया जा सके। परिषद के

उद्देश्य को बल प्रदान करने में, 14 रासुप शाखाओं के निष्पादन को मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से, रासुप मंडल ने वर्ष 2004-05 से सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है । पुरस्कार 5 से 7 अप्रैल, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए जाएंगे ।

सुरक्षा परामर्शी सेवाएं

13.43 सुरक्षा परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन होने के नाते रासुप उद्योगों के अनुरोध पर सुरक्षा परीक्षण एवं अन्य सुरक्षा परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कुल मिलाकर 31 सुरक्षा परामर्श कार्य किए गए ।

स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पर्यावरण प्रशिक्षण

13.44 (एचएसई) प्रशिक्षण रासुप की प्रमुख गतिविधि है । इसलिए, रासुप ने उद्योगों की उभरती जरूरतों के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार एवं विकसित करने पर जोर देना जारी रखा है । अवधि के दौरान, निम्नलिखित 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की गई, जिनमें 16 राष्ट्रीय स्तर और 18 इकाई स्तर पर थीं और इनमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों से कुल 1817 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय अभियान

13.45 रिपोर्ट की अवधि के दौरान अग्निशमन सेवा सप्ताह(14-20 अप्रैल) तथा विश्व पर्यावरण दिवस नामक राष्ट्रीय अभियान चलाए गए ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कैलेनडर 2006

13.46 एचएसई जागरूकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों को बल प्रदान करने के लिए रासुप ने 8 पन्नों का बहुरंगी राष्ट्रीय सुरक्षा कैलेन्डर जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा तकनीकी धारण का विकास किया जाना है, दिसंबर 2005 तक प्रकाशित किया जाएगा ।

एचएसई डायरी 2006

13.47 वर्ष 2006 के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण डायरी लगातार 9 वर्ष से प्रकाशित की जा रही है। इसमें तारीख पैड के अलावा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, संरक्षण, आपदा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, निगमित सामाजिक दायित्व, तथा अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े क्षेत्रों के विभिन्न प्रमुख विषयों पर जानकारी दी गई है ।

13.48 अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप

- **अपोशो की 21वीं वार्षिक बैठक एवं सम्मेलन में प्रतिभागिता** इंडोनेशियन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद वाली, इंडोनेशिया में 5 सितम्बर, से 8 सितम्बर, 2005 तक आयोजित अपोशो की वार्षिक बैठक एवं सम्मेलन में दो-सदस्यी प्रतिनिधिमंडल श्री एच. महादेवन, उपाध्यक्ष (श्रमिक) तथा री के.सी.गुप्ता, महानिदेशक ने भाग लिया। महानिदेशक, रासुप ने सम्मेलन के पूर्व अधिवेशन में **चुनौती को पूरा करने के लिए सड़क परिवहन सुरक्षा-एक परिवर्तित पहुंच पर** कागजात प्रस्तुत किए गए ।

- **17वीं विश्व कांग्रेस में भागीदारी** रा.सु.परिषद ने ओरलैंडों, फलोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरीका में दिनांक 18 सितम्बर, से 22 सितम्बर, 2005 तक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्य पर 17वें विश्व कांग्रेस में भारत से एक ग्यारह सदस्यी प्रतिनिधि मंडल ने अगुवाई की।

- एनएससी संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा स्थापित सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की वचनबद्धता द्वारा व्यवसाय विशिष्टता के लिए रोबर्ट डब्ल्यू कैंपबेल अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार के राष्ट्रीय भागीदार बनने के लिए एनएससी सहमत हो गई है ।

- एन एस सी से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक अधिकारी 24 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2005 तक बैंकाक में हुई सामाजिक सुरक्षा पर आई एस ओ की द्वितीय बैठक तथा दो दिवसीय

कार्यशाला में भाग लेने के लिए नामित किया गया ।

- रासुप को गैर-सरकारी क्षेत्र एवं जापान औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संध(जिशा), ट ोक्यो, जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अधिकृत एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है । इस सहयोग के एक अंश के रूप में रासुप ने उद्योगों और रासुप से पांच व्यावसायिकों को रिपोर्ट की अवधि के दौरान जिकोश (जापानी अंतर्राट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य केन्द्र) द्वारा टोक्यो, जापान में आयोजित एवं प्रयोजित 3-सप्ताह की संगोष्ठी के लिए नामित किया गया । अधिवेशन के उद्देश्य निम्नलिखित थे:-(i) दुर्घटना मामलों को नगण्य तक लाना (ii) बॉयलर सुरक्षा (iii) फुफ्फुसधूलिमयता की रोकथाम तथा निदान (iv)ओ.एस.एच.एम.एस. (जोखिम मूल्यांकन) तथा (v) अर्गोनॉमिक्स।